न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—54 सन् 2020

दिनानाथ महतो वगै0...................................वादीगण।

बनाम

मुनाका देवी वगै0.......................................प्रतिवादीगण।

दिनांक—27.06.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 03 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 26.04.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वादी सं0 01 दिनानाथ महतो थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 07.10.2022 अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में वादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी सं0 01 दीनानाथ महतो का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा—5 परिसीमा के अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 27.06.2024 को दाखिल कर वादी के उक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 01 दिनानाथ महतो थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 07.10.2022 अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है, जिसके कारण वाद अबेट हो चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 26.04.2024 को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक.........................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।